संख्याः ई0 एक्स0 एन0–ए(3)–4/2023
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी

प्रेषित

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा
शिमला –4.

दिनांकः शिमला–171002. 16 दिसंबर, 2024.

विषयः– हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र में रखने बारे नोटिस।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 36) को विधान सभा के वर्तमान सत्र मे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

विधेयक की 100 प्रतियां (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

भवदीय,

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री
हिमाचल प्रदेश।

संलग्नः यथोपरि।
पृष्ठांकन संख्याः ई0एक्स0एन0–ए0(3)–4/2023 दिनांक– शिमला–02 ,2024

1. प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
2. सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 12.12.2024 के मद संख्याः 48 के संदर्भ में लिए गए निर्णय के संबंध में।
3. आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को उपरोक्त विधयेक की तीन प्रतियों सहित।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

2024 का विधेयक संख्यांक 36

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4—क का संशोधन।

2024 का विधेयक संख्यांक 36

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

धारा 4–क का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 4–क की उपधारा (1) में, "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या ज़िला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य कर और आबकारी विभाग का पुनर्गठन सरकार द्वारा अधिसूचना संख्याः ई० एक्स० एन०–बी (1)–1/2021, तारीख 19–01–2024, 29–01–2024 तथा 29–08–2024 द्वारा दो खंडों (शाखाओं) अर्थात् आबकारी खंड और माल और सेवा कर खंड में किया गया है।

अतः विभाग के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, नवगठित माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर खंड में पुरानी चार स्तरीय संरचना (मुख्यालय–ज़ोन–ज़िला–वृत्त) के स्थान पर तीन स्तरीय संरचना (मुख्यालय–माल और सेवा कर ज़ोन–माल और सेवा कर वृत्त) है। इसके परिणामस्वरूप, माल और सेवा कर खंड/सम्बद्ध कर खंड संरचना में जिला प्रभारी का पद अस्तित्व में नहीं है, इसलिए, विभाग के पुनर्गठन के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

धर्मशालाः

तारीख ....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

आधिप्रमाणित
सुखविन्द्र सिंह
मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशालाः

तारीखः....., 2024.

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) के उपबन्धों के उद्धरणः

धारा :

4–क. सामान का विक्रय करने या करवाने अथवा प्रेषण या परिवहन को प्राधिकृत करवाने बाले व्यक्ति से अतिरिक्त सामान कर का संग्रहण.––(1) धारा 3–ख की उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सामान का विक्रय करने या क्रय करने अथवा परिवहन के लिए प्रेशण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने वाला और सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या ज़िला प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा, सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, मोटर गाड़ी, जिसमें या जिस पर सामान का परिवहन किया जाता है के, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति या चालक से, धारा 3–ख के अधीन संदेय कर की रकम, विहित रीति में संगृहीत करेगा और ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति, विहित रीति में उसका संदाय सरकारी खजाने में करेगा।

(2) ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति मोटर गाड़ी, जिसमें या जिस पर सामान का परिवहन किया जाना है के, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति या चालक को विहित रीति में एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा और प्रमाण–पत्र को पेश करने पर अधिनियम की धारा 3–ख की उपधारा (2) के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) और (2) के किसी या सभी उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को, उपधारा (1) के अधीन संदेय कर की रकम के दोगुना से अनधिक राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा।

(3–क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या ज़िला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसके दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पांच दिन के भीतर, ट्रेज़री चालान सहित विहित रीति में विवरणी देगा।

(3–ख) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3–क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे पांच हज़ार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा।

(3–ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात्वर्ती तारीख से, जिसको व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर, प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज़ सहित करने का दायी होगा।

(4) धारा 12 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन संदेय कर और अधिरोपित किन्तु अनिक्षिप्त किसी शास्ति की किसी रकम की वसूली के लिए लागू होंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 36 OF 2024

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4-A.

Bill No. 36 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2024

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Act, 2024. Short title.

2. In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, in sub-section (1), for the words "Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district", the words, letters and signs "Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned jurisdiction" shall be substituted. Amendment of section 4-A.

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Restructuring of the State Taxes and Excise Department has been carried out by the Government vide notifications No. EXN-B(1)-1/2021 dated 19-01-2024, 29-01-2024 and 29-08-2024 into two wings viz. Excise Wing and GST Wing.

Consequent upon the restructuring of the Department, the newly formed GST/Allied Taxes wing has three tier structure (Headquarters-GST Zone-GST Circle) instead of old four tier structure (Headquarters-Zone-District-Circle). As a result of it, the post of District in-Charge no longer exists in GST Wing/Allied Tax wing structure, hence amendments in the Act are required in order to align with the restructuring of the Department.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

DHARAMSHALA:

THE....., 2024.

Authenticated
Chief Minister
Himachal Pradesh

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

THE....., 2024.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION ACT, 1955 (15 OF 1955) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

4-A. Collection of additional goods tax by a person selling or causing or authorizing to cause dispatch or transport of goods.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) of section 3-B, a person selling or purchasing or causing or authorising to cause dispatch or receipt of goods for transport and duly authorised by the Assistant Excise and taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district, shall in the prescribed manner, collect the amount of tax payable under section 3-B from the person-in-charge or the driver of the motor vehicle, as the case may be, in or on which goods are to be transported and the person making such collection shall, in the prescribed manner, make payment of the same into the Government treasury.

(2) The person making such collection shall issue a certificate in the prescribed manner, to the person-in-charge or the driver of the motor vehicle, as the case may be, in or on which goods are to be transported and, on the production of the certificate, no tax shall be payable under sub-section (2) of section 3-B of the Act.

(3) If any person contravenes any or all of the provisions of sub-sections (1) and (2), the prescribed authority shall, after giving opportunity of being heard, by an order in writing, direct that such person shall pay by way of penalty a sum not exceeding twice the amount of tax payable under sub-section (1).

(3-a) Such person as specified in sub-section (1) shall, in the prescribed manner, furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer incharge of the district, within five days of the close of each month during which collection was made by him along with the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub-section (1), fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple Interest on the amount of tax

due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues.

(4) The provisions of section 12 shall mutatis mutandis apply for recovery of any amount of tax payable and or any penalty imposed but not deposited under this section.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—1717—जुड / 2024—14—12—2024—175 प्रतियां।